

कार्यालय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी
प्रकीर्ण आदेश संख्या-58 सन् 2025, दिनांक: अगस्त 25, 2025

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी द्वारा पारित आदेश संख्या-58 दिनांकित-21.08.2025 का परिशीलन किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी को इस कार्यालय के पत्र संख्या-611 दिनांकित-18.08.2025 द्वारा वर्ष 2025 के माह सितम्बर से माह दिसम्बर तक के लिए रिमाण्ड मजिस्ट्रेट नामित करने सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार कर अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त के क्रम में रिमाण्ड मजिस्ट्रेट नामित करने सम्बन्धी उपरोक्त आदेश पारित किया गया है, जो कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत निर्देशों के विपरीत एवं अत्यन्त आपत्तिजनक है।

वर्ष 2025 के माह दिसम्बर में दिनांक-25.12.2025 से 31.12.2025 तक घोषित क्रिसमश अवकाश अवधि के दौरान जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में किसी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी की उपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी द्वारा पारित उपरोक्त आदेश को निम्न स्तर तक अतिक्रमित किया जाता है:-

“माह सितम्बर 2025 हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी के स्थान पर न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी को तथा माह दिसम्बर 2025 हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी के स्थान पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी को रिमाण्ड मजिस्ट्रेट नामित किया जाता है।”

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी द्वारा पारित शेष आदेश यथावत रहेगा।

आदेश की प्रति सम्बन्धित न्यायालय पीठासीन अधिकारियों को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

जिला न्यायाधीश,
उत्तरकाशी